BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO 133 OF 2025

IN THE MATTER OF:

CENTRE FOR HOLISTIC DEVELOPMENT (CHD)

..APPLICANT

VERSUS

GOVT. OF UTTARAKHAND & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG NO
1.	Compliance Report on behalf of the District Magistrate, Tehri Garhwal	1-6
2.	**ANNEXURE-R/1** The letter bearing number 88/Ganga Committee (2025-2026) dated 08.04.2025 vide which the joint committee was constituted	7
3.	**ANNEXURE-R/2** The Order bearing No.-91/ Ganga Committee /Dated- 22.04.2025 vide which the officer of expertise for the concern matter was appointed by the DM, Tehri Garhwal	8
4.	**ANNEXURE-R/3** The letter bearing No.-676/S.P.A./S.D.M./Dated 10.06.2025	9
5.	**ANNEXURE-R/4 (COLLY)**	

	The letter bearing No.-676/S.P.A./S.D.M. / dated 10.06.2025 and the photos of the shop built over the drain by Shri Bhagwan Singh	10-15
6.	**ANNEXURE-R/5** The Paper bearing No.-1324/Reader (Miscellaneous)/Narendranagar/ Date-30.07.2025 containing the details of the cases pending before the prescribed authority, Narendernagar	16

DISTRIST MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL

THROUGH –

KAUSHAL GAUTAM
COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL
OFF AT: A-25, SECOND FLOOR, DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110024
MOB NO: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO 133 OF 2025

IN THE MATTER OF:

CENTRE FOR HOLISTIC DEVELOPMENT (CHD)

..APPLICANT

VERSUS

GOVT. OF UTTARAKHAND & ORS. ...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL

MOST RESPECTFULLY SHOWETH-

1. In compliance with the order dated 03.04.2025 passed in the original application number 133/2025, filed before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, a joint committee of District Magistrate, Tehri Garhwal as nodal officer, Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi, Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Member Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun, Uttarakhand was constituted. The letter bearing number 88/Ganga Committee (2025-2026) dated 08.04.2025 vide which the joint committee was constituted has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/1**.

2. It is submitted that in compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal on 03.04.2025, the District Magistrate,

Tehri Garhwal nominated the Officer of expertise, Sub-District Magistrate Narendra Nagar, Tehri Garhwal on behalf of the Department / Office. The Order bearing No.-91/ Ganga Committee /Dated-22.04.2025 vide which the officer of expertise was appointed by the DM, Tehri Garhwal has been annexed here with as **ANNEXURE-R/2.**

3. It is further submitted that a joint inspection was conducted on 13.05.2025 by the members/representatives nominated by the committee comprising of Additional Director, Central Pollution Control Board, Delhi, Assistant Inspector General of Forest, Ministry of Environment and Climate Change, Dehradun, Sub District Magistrate, Narendra Nagar, Tehri Garhwal and Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun. Swami Shivanand from Shivanand Ashram and Swami Avdheshanand, who is the General Secretary of the Trust, were present as representatives of the Centre of Holistic Development (CHD) during the inspection. The letter bearing No.-676/S.P.A./S.D.M./Dated 10.06.2025 has been annexed here with as **ANNEXURE-R/3.**

4. In the joint inspection by the joint committee, it was found that there are two rain drains located on the left side of Shivanand Ashram in the referenced site Mauja, Muni ki Reti, which are marked as drains in the Mauja Muni ki Reti Revenue Map of 1931. On the left side of the first drain, a shop has been built by Shri Bhagwan Singh, son of Jeet Singh, resident of the village Kui. Patti Dhanandsyun, Tehsil Narendra Nagar, Tehri Garhwal. Shri Bhagwan

Singh Negi had extended a part of his shop over the drain, which has been removed by Shri Bhagwan Singh Negi himself. The letter bearing No.-676/S.P.A./S.D.M. / dated 10.06.2025 and the photos of the shop built over the drain by Shri Bhagwan Singh has been annexed here with as **ANNEXURE-R/4 (COLLY).**

5. A total of 07 persons have built a residential house on the second drain situated on the left side of Shivanand Ashram

S.no	Name of the person/ father's name	Addresss	Covered area
1.	Shri Chandrashekhar son of Shri Ramkumar	Shivanand Nagar, Muni ki reti	16 Sq. mtrs
2.	Shri pavan Kumar son of Shri Ramkumar	Shivanand Nagar, Muni ki reti	18 Sq. mtrs
3.	Shri Arjun son of Shri Ramkumar	Shivanand Nagar, Muni ki reti	48 Sq. mtrs
4.	Shri Jitendra son of Shri Magan Singh	Shivanand Nagar, Muni ki reti	44 Sq. mtrs
5.	Shri Naveen Kumar son of Shri Chandrashekhar	Shivanand Nagar, Muni ki reti	35 Sq. mtrs
6.	Shri Vijayram son of kanuram	Shivanand Nagar, Muni ki reti	30 Sq. mtrs

7.	Shri Manoj son of Shri Beenu Paswan	Shivanand Nagar, Muni ki reti	30 Sq. mtrs

The above-mentioned 07 persons have illegally encroached upon the land owned by the Uttarakhand government, and due to the construction of a building on the drain, the drainage of rainwater is also getting affected.

6. The above-mentioned 07 persons have been challaned under Section 4 (1) of the UP Public Land Act, 1972. Case Nos. 27/2024-25,28/2024-25,29/2024-25,30/2024-25,31/2024-25,32/2024-25,33/2024-25 have been filed in the court of prescribed authority, Narendra Nagar under Section 4(1) Public Land and Eviction Act, 1972. At present, objections are pending for action against a total of 07 illegal encroachers. The date for objections is fixed as 13.08.2025. The Paper bearing No.-1324/Reader (Miscellaneous)/Narendra Nagar/ Date-30.07.2025 containing the details of the cases pending before the prescribedauthority, Narender Nagar,has been annexed herewith as **ANNEXURE-R/5**.

DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL
THROUGH –

KAUSHAL GAUTAM
COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL
OFF AT: A-25, SECOND FLOOR, DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110024
MOB NO: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

सेन्टर फॉर होलिस्टिक डेवलप्मेन्ट
बनाम
उत्तराखण्ड सरकार
तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित **मूल आवेदन संख्या 133/2025** में दिनांक 03.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल नोडल अधिकारी के रुप में, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, सदस्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून, उत्तराखण्ड की संयुक्त समिति का गठन किया गया।
(संलग्न– पत्र संख्या–88/गंगा समिति/दिनांक–08.04.2025)
2. उक्त वाद में मा0 हरित प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा विभाग/कार्यालय की ओर से विज्ञ अधिकारी, उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को नामित किया गया।
(संलग्न– आदेश संख्या–91/ गंगा समिति/दिनांक–22.04.2025)
3. उक्त वाद में दिनांक 03.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में उपरोक्त समिति द्वारा नामित सदस्यों/प्रतिनिधियों, अपर निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, सहायक वन महा निरीक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के द्वारा दिनांक 13.05.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय Centre of Holistic Development(CHD) के प्रतिनिधि के रुप में शिवानंद आश्रम से स्वामी शिवानंद जी तथा स्वामी अवधेशानंद जी, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उपस्थित थे।
(संलग्न– पत्र संख्या–676/एस0पी.ए0/ एस0डी0एम0/दिनांक 10.06.2025)
4. संयुक्त समिति द्वारा विषयगत निरीक्षण में पाया गया कि संदर्भित स्थल मौजा, मुनि की रेती में शिवानंद आश्रम के बायीं ओर दो बरसाती नाले स्थित हैं, जो मौजा मुनि की रेती राजस्व मानचित्र सन् 1931 में नाले के रुप में अंकित है। प्रथम नाले के बायीं ओर श्री भगवान सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम कुई, पट्टी घनान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा दुकान बनायी गयी है। श्री भगवान सिंह नेगी द्वारा अपनी दुकान का कुछ भाग नाले के ऊपर बढाया गया था, जिसे श्री भगवान सिंह नेगी द्वारा स्वयं हटा दिया गया है।
(संलग्न– पत्र संख्या–676/एस0पी.ए0/एस0डी0एम0/ दिनांक 10.06.2025)
5. यह कि शिवानंद आश्रम के बायीं ओर स्थित द्वितीय नाले पर कुल 07 व्यक्तियों द्वारा आवासीय भवन निर्मित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न हैः–

क.स.	व्यक्ति का नाम/पिता का नाम	पता	अध्यासित क्षे.फ.
1	श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	16 वर्ग मीटर
2	श्री पवन पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	18 वर्ग मीटर
3	श्री अर्जुन पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	48 वर्ग मीटर
4	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री मगन सिंह	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	44 वर्ग मीटर
5	श्री नवीन कुमार पुत्र श्री चन्द्रशेखर	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	35 वर्ग मीटर
6	श्री विजयराम पुत्र कनूराम	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	30 वर्ग मीटर
7	श्री मनोज पुत्र श्री बीनू पासवान	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	30 वर्ग मीटर

उपरोक्त 07 व्यक्तियों के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है एवं नाले पर भवन बन जाने से बर्षाती पानी की निकासी भी प्रभावित हो रही है।
(संलग्न– पत्र संख्या–676/एस0पी.ए0/एस0डी0एम0/दिनांक 10.06.2025)

6. उपरोक्त 07 व्यक्तियों का उ0प्र0सा0भू0गृ0अधि0 1972 की धारा–4(1) के अन्तर्गत चालान किया गया है। न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर में धारा –4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वाद संख्या 27,28,29,30,31,32,33 दायर किये गये हैं। वर्तमान में कुल 07 अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही वास्ते आपत्ति हेतु गतिमान है। आपत्ति हेतु दिनांक 13.08.2025 की तिथि नियत है।

(पत्र संख्या–1324 / वाचक–(विविध) / नरेन्द्रनगर दिनांक–30.07.2025 संलग्न)

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– ४४ / गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढवाल दिनांक, ०४,अप्रैल , 2025

सेवा में,

1. सदस्य सचिव,
   केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव,
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव,
   पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
   देहरादून,उत्तराखण्ड।

विषयः– NGT OA No. 133/2025, Centre for holistic development(CHD) बनाम Govt. of Uttarakhand& ors में दिनांक 03.04.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल ओवदन संख्या 113/2025 में Centre for holistic development(CHD) बनाम Govt. of Uttarakhand& ors में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025(संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान मुनिकीरेती ऋषिकेश में रिवाईन नाले में हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति के गठन करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। उक्त समिति में सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बार्ड, देहरादून, सदस्य सचिव, पयार्वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून उत्तराखण्ड तथा अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि शामिल होगें तथा अधोहस्ताक्षरी नोडल एंजेसी के रुप में कार्य करेगें, समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित मा0 राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में आप अपना प्रतिनिधि नामित करते हुए, नामित प्रतिनिधि की सूचना प्रतिनिधि के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश का समबद्व अनुपालन हो सके।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

8

—:आदेश:—

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–133/2025 Centre for holistic development(CHD) बनाम Govt. of Uttarakhand & ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान मुनिकीरेती, ऋषिकेश में रिवाईन नाले में हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति के गठन करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। उक्त समिति में सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, सदस्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून, उत्तराखण्ड एवं अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि शामिल होगें तथा अधोहस्ताक्षरी नोडल एंजेसी के रुप में कार्य करेगें। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जाएगी।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विभाग/कार्यालय की ओर से विज्ञ अधिकारी **श्री देवेन्द्र सिंह नेगी (मो0नं0– 9410191049) उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल** को नामित किया जाता है।

(मयूर दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 91 / गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढवाल दिनांक, 22 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– Ms. Reena Satavan, Additional Director, CPCB.
2– नीलिमा शाह, भा0व0से0, सहायक वन महानिरीक्षक (के0), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
3– उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

जिला मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढवाल।

o/c

R. No. 2440 ...RK...
पंजिका सं0 13-E दिनांक 20/6/25

DPO (नमामि गंगे)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
19/6/25

कार्यालय
दिनांक 19-6-25
नई टिहरी, (टिहरी गढ़वाल)

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या / 676 / एस0पी0ए0 / एस0डी0एम0 / 2025 दिनांक 10 जून, 2025

विषयः— **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—135 / 2025 Centre for holistic development (CHD) बनाम Govt. of uttarakhand & ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने आदेश संख्या—91 / गंगा समिति (2025—26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 22 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—135 / 2025 Centre for holistic development (CHD) बनाम Govt. of uttarakhand & ors. में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 में मा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, मुनिकीरेती, ऋषिकेश में रिवाईन नाले में हो रहे अतिकमण के संबंध में एक संयुक्त समिति के गठन करने हेतु आदेश पारित किये गये है। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग की ओर से अद्योहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु **दिनांक 13.05.2025 (मंगलवार) को समय प्रातः 10.00 बजे** की तिथि नियत की गयी। संयुक्त समिति से प्राप्त जांच आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः जांच रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

ANNEXURE-R/4 (COLLY)

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–133/2025 Centre for Holistic Development (CHD) Vs Govt of Uttarakhand & ors. पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण

उपरोक्त विषयक कार्यालय उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के पत्र, पत्रांक संख्या 1656/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर, दिनांक 30.04.2025 के अनुक्रम में जिसमें मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–133/2025 Centre for holistic development (CHD)Vs Govt of Uttarakhand & ors. पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

> **"Considering the seriousness of allegation made in the OA, we deem it proper to from a joint committee comprising of representative of Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Uttarakhand State Pollution Control Board (UKPCB), RO, MoEF & CC, Dehradun and District Magistrate, New Tehri, Garhwal, Uttarakhand District Magistrate, New Tehri, Garhwal, Uttarakhand will act as a nodal agency. The Joint committee will visit the site and ascertain the extent of encroachment, construction on nalla in question, identify the encroachers and suggest the remedial measures."**

उक्त आदेश के अनुपालन में सभी विभागों के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 13.05.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:–

1. श्रीमती निलिमा शाह, सहायक वन महानिरीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
2. श्रीमती रीना सतावन, अपर निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी।
4. श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

निरीक्षण के समय **Centre for Holistic Development (CHD)** के प्रतिनिधि के रूप में शिवानंद आश्रम से स्वामी शिवानंद जी तथा स्वामी अवधेशानंद जी, जो कि ट्रस्ट के महासचिव है, उपस्थित थे। (उपस्थिति संलग्न–संलग्नक–01)

संयुक्त समिति द्वारा विषयगत स्थल के निरीक्षण में पाया गया कि:–

1. संदर्भित स्थल मौजा, मुनि की रेती में शिवानंद आश्रय के बायी ओर दो बरसाती नाले स्थित हैं, जो मौजा मुनि की रेती राजस्व मानचित्र सन् 1931 में नाले के रूप में अंकित है। प्रथम नाले के बायी ओर श्री भगवान सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम कुई, पट्टी घनान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा दुकान बताई गयी है। श्री भगवान सिंह नेगी द्वारा अपनी दुकान का कुछ भाग नाले के ऊपर बढ़ाया गया था, जिसे श्री भगवान सिंह नेगी द्वारा स्वयं हटा दिया है।

2. यह कि शिवानंद आश्रम के बायी ओर स्थित द्वितीय नाले पर कुल 07 व्यक्तियों द्वारा आवासीय भवन निर्मित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न है:–

क्र. स.	व्यक्ति का नाम/पिता का नाम	पता	अध्यासित क्षे.फ.
1.	श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	16 वर्ग मी.
2.	श्री पवन पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	18 वर्ग मी.
3.	श्री अर्जुन पुत्र श्री रामकुमार	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	48 वर्ग मी.
4.	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री मगन सिंह	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	44 वर्ग मी.
5.	श्री नवीन कुमार पुत्र श्री चन्द्रशेखर	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	35 वर्ग मी.
6.	श्री बृजराम पुत्र श्री कनूराम	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	30 वर्ग मी.
7.	श्री मनोज पत्र श्री बीनू पासवान	शिवानंद नगर, मुनि की रेती	30 वर्ग मी.

उपरोक्त 07 व्यक्तियों के उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। नाले पर भवन बन जाने से बर्षाती पानी की निकासी भी प्रभावित हो रही है, जिससे उपरोक्त 07 व्यक्तियों को उ0प्र0सा0भू0गृ0अधि0 1972 की धारा–4(1) के अन्तर्गत चालान किया गया है। अग्रिम कार्यवाही न्यायालय विहित प्राधिकारी नरेन्द्रनगर के यहां गतिमान है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटो ग्राफ्स संलग्न है। (संलग्नक–02)

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(रीना सतावन)
अपर निदेशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी

(निलिमा शाह)
सहायक वन महा निरीक्षक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
देहरादून

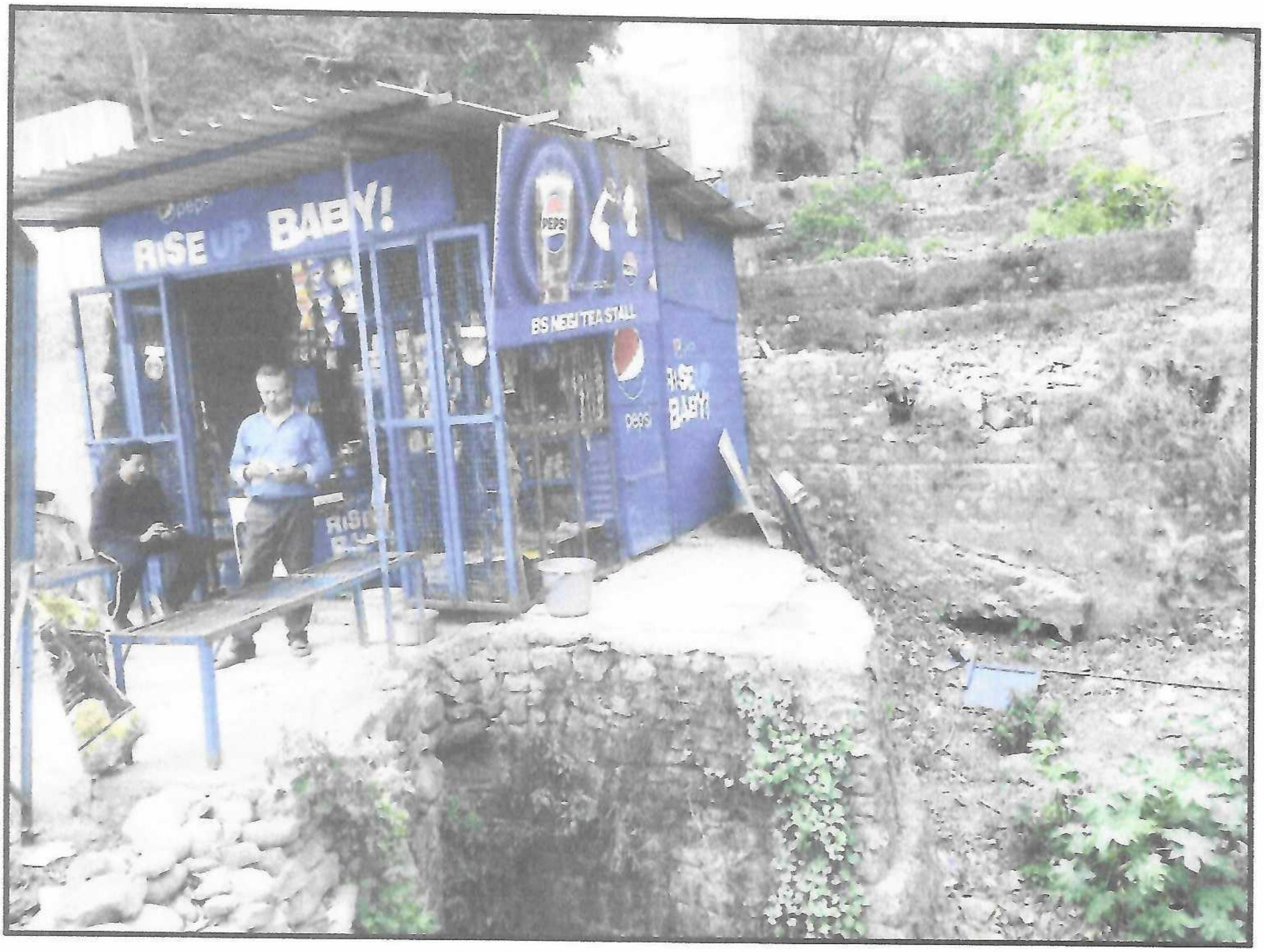
RISE UP BABY!
BS NEGI TEA STALL
RISE UP BABY!

RISE UP BABY!
PEPSI
BS NEGI TEA STALL
RISE UP BABY!
pepsi

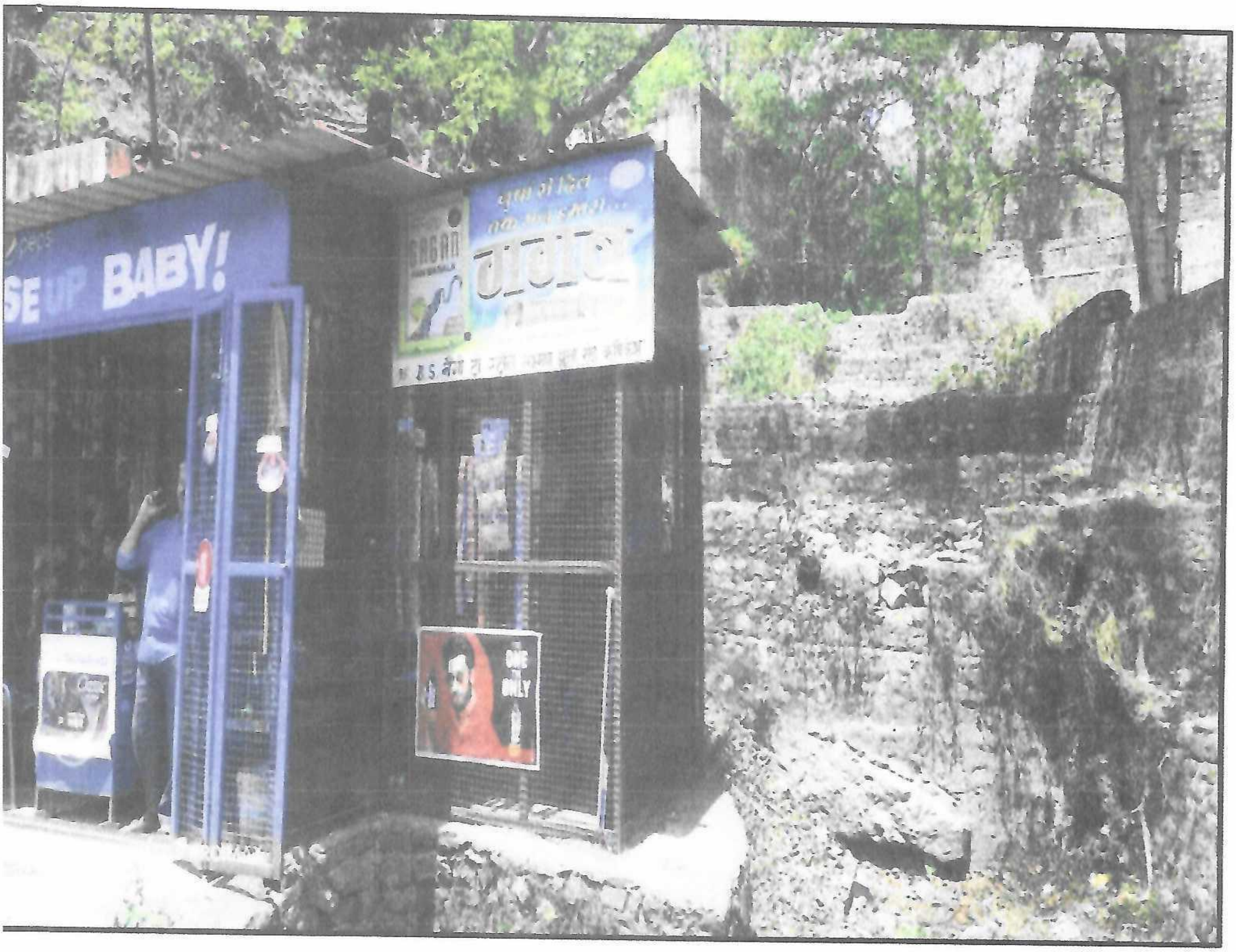
SE UP BABY!
ONE
ONLY

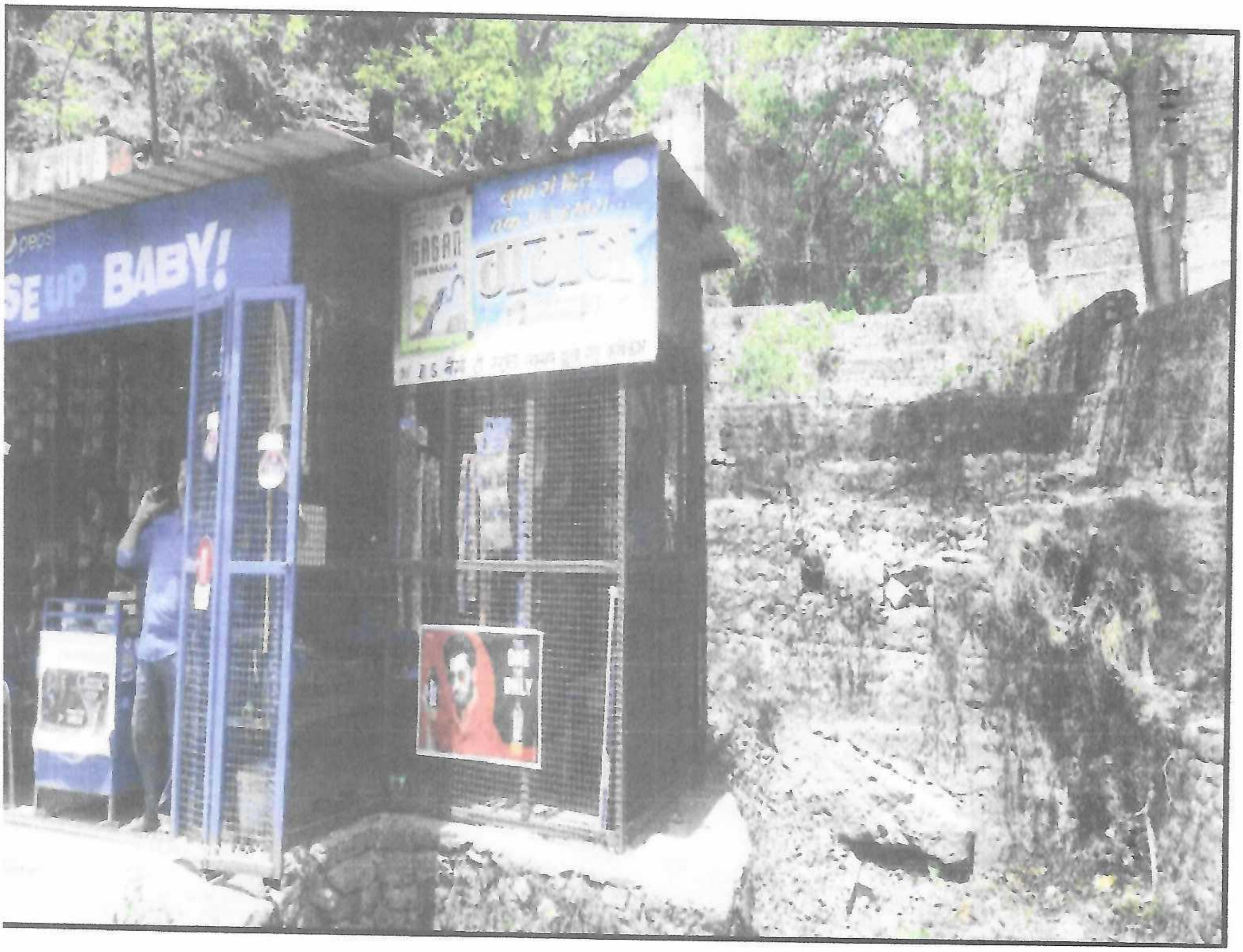
SE uP BABY!

135

ANNEXURE-R/5

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी

नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल।

संख्या/324 /वाचक–(विविध)/2024–25 , दिनांक, नरेन्द्रनगर, जुलाई 30, 2025

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-133/2024 सेन्टर फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेन्ट (CHD) Versus Stat of Uttarakhand & Ors. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृ0 मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–133/2024 Centre for holistic development (CHD) Versus Govt of Uttarakhand & Ors. मे पारित आदेश दिनाक 03 04 2025 के कम में स्थान मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल मे रिवाइन नाले मे अवैध अतिक्रमण/अध्यासन पाये जाने पर निम्नांकित व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही गतिमान की गयी है। प्रकरण मे अद्यतन स्थिति निम्नवत् है -

क0सं0	वाद संख्या	धारा	नाम पक्षकारान	वाद की अद्यतन स्थिति
01	27/2024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम अर्जुन सिंह निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
02	28/2024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम नवीन कुमार निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
03	29/2024–25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम मनोज कुमार निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
04	30/2024–25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम जितेन्द्र सिंह निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
05	31/2024–25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम पवन कुमार निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
06	32/2024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम चन्द्रशेखर निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनाक 13 8 2025 को नियत है।
07.	33/2024–25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम विजय राम निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल।	पत्रावली वास्ते आपत्ति अध्यासी दिनांक 13 8 2025 को नियत है।

अतः आख्या तद्नुसार सेवा में सादर अवलोकनार्थ सप्रेषित।

उप जिलाधिकारी,

नरेन्द्रनगर

30/07/25